न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

(1) प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/5981/2005/जैसलमेर

1– शिवदानसिंह पुत्र गोरधनसिंह,
2– श्रीमती फूल कंवर विधवा स्व0 श्री मूलसिंह,
3– हुकमसिंह पुत्र स्व0 श्री मूलसिंह,
4– दलपत सिंह पुत्र स्व0 श्री मूलसिंह,
समस्त जाति राजपूत, निवासी उण्डा, तहसील फतेहनगर, जिला जैसलमेर ।

–अपीलांटस

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फतेहगढ़, जिला जैसलमेर
2– शोभसिंह पुत्र श्री मूलसिंह,
3– कानसिंह पुत्र मूलसिंह,

–रेस्पोडेन्ट्स

(2) प्रकरण संख्या– अपील डिक्री/टीए/5938/2005/जैसलमेर

1– शिवदानसिंह पुत्र गोरधनसिंह,
2– श्रीमती फूल कंवर विधवा स्व0 श्री मूलसिंह,
3– हुकमसिंह पुत्र स्व0 श्री मूलसिंह,
4– दलपत सिंह पुत्र स्व0 श्री मूलसिंह,
समस्त जाति राजपूत, निवासी उण्डा, तहसील फतेहनगर, जिला जैसलमेर ।

–अपीलांटस

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, फतेहगढ़, जिला जैसलमेर
2– शोभसिंह पुत्र श्री मूलसिंह,
3– कानसिंह पुत्र मूलसिंह,

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ

श्री हेमन्त कुमार गेरा, अध्यक्ष
श्री रामदयाल मीणा, सदस्य

उपस्थितः—

श्री अशोक अग्रवाल, अधिवक्ता अपीलांटस
अधिवक्ता रेस्पो0संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित
श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3

निर्णय

दिनांकः— 02.01.2025

अपीलांटस द्वारा यह दोनों अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर—जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा अपील संख्या 05/2005 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम फूलकंवर व अन्य तथा अपील संख्या 02/2005 बउनवान फूलकंवर बनाम राज0सरकार में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08—09—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2— दोनों अपीलों में पक्षकार, विवादित भूमियां एवं कानूनी बिन्दु समान होने तथा एक ही निर्णय के विरूद्ध पेश किये जाने से दोनों अपीलों में एक साथ बहस समाहत की जाकर दोनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक—पृथक संधारित की जावे ।

2— प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांटस ने तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर, फतेहगढ के न्यायालय में वादग्रस्त आराजी बाबत् वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रस्तुत किया जिसमें तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर, फतेहगढ द्वारा दिनांक 07—04—2001 को निर्णय पारित कर वादीगण का वाद खारिज किया गया । उक्त निर्णय के विरूद्ध वादीगण द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की गई जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा 01.12.2002 को निर्णय पारित कर अपीलांटस/वादीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कुछ निर्देशों के साथ प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने प्रकरण दर्ज कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 05—12—2004 को पारित कर वादीगण/अपीलांटस का वाद डिक्री किया । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध दो पृथक—पृथक अपीलें क्रमशः राज0सरकार ने जरिये तहसीलदार, फतेहगढ़ अपील संख्या 02/2005 तथा वादिनी फूलकंवर

द्वारा अपील संख्या 05/2005 न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर के समक्ष पेश की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 08–09–2005 को पारित कर राज0सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 2/2005 बउनवान राज0सरकार बनाम श्रीमती फूलकंवर स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया तथा वादिनी फूलकंवर द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 05/2005 खारिज की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह दो पृथक–पृथक द्वितीय अपीलें मण्डल के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उपभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी ।

4– विद्वान अति.राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर के निर्णय दिनांक 08.09.2005 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील मीमों में अपीलांट द्वारा राज्य सरकार के विरूद्ध दादरसी चाही है किन्तु अपील में राज्य सरकार को रेस्पो0 संख्या 3 के रूप में संयोजित किया गया है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राज्य सरकार को रेस्पो0 संख्या 1 के रूप में संयोजित किया जावे ।

5– हमनें प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जा0दी0 एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांटस/वादीगण द्वारा मुख्य अनुतोष राज्य सरकार से चाहा गया है । ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को दोनों अपील पत्रावलियों में रेस्पो0 संख्या 3 के स्थान पर रेस्पो0 संख्या 1 प्रतिस्थापित किया गया है ।

6– अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता श्री अशोक अग्रवाल ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–12–2002 में जारी निर्देशों का पालन किए बिना दिनांक 05–12–2004 को निर्णय व डिक्री पारित की थी तथा अपने निर्णय में शेष 100 बीघा भूमि की खातेदारी नहीं देने का भी कोई कारण उल्लेखित नहीं किया है । अपीलांटस ने अपने वाद को दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्णतया साबित किया था । पर्चा खतौनी ग्राम जसुवा संवत 2014 प्रस्तुत की थी, जिसमें वे समरी खसरा नंबर 10 की 575 बीघा भूमि के खातेदार थे और उसके बाद उनकी भूमि कम होने का प्रमाण तुलनात्मक रजिस्टर 2021 वर्ष 1964–65 में अच्छी तरह उल्लेख किया गया था । इसके अलावा खतौनी संवत 2036 भी उनके कथनों के समर्थन में रिकार्ड पर उपलब्ध थी । अपीलांटस संवत् 2031 तक खातेदार थे, लेकिन अंतिम बंदोबस्त संवत् 2032 के दौरान उनकी भूमि कम कर दी गई । विचारण न्यायालय ने वादीगण को 215 बीघा भूमि की खातेदारी प्रदान कर दी थी किन्तु शेष 100 बीघा भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं करने बाबत् कोई कारण अपने निर्णय में अंकित नहीं किया है । अधीनस्थ

न्यायालयों ने अपीलांटस को उनको अपनी भूमि का खातेदार घोषित नहीं किया है । अंतिम बंदोबस्त के दौरान अवैध रूप से अपीलांटस की भूमि सिवायचक दर्ज की गई है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बंदोबस्त प्राधिकारी को किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन का अधिकार नहीं है वे केवल पिछली प्रविष्टियों को दोहराने के लिए अधिकृत है । अपीलांटस/वादीगण स्वंय की संपूर्ण 575 बीघा भूमि के खातेदार घोषित होने के हकदार है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें स्वीकार की जावे तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2005 को निरस्त किया जावे तथा सहायक कलेक्टर, फतेहगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2004 को संशोधित किया जाकर अपीलांटस को ग्राम उण्डा की शेष 100 बीघा भूमि का भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।

7— विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा वाद कथनों को साक्ष्य, सबूत के आधार पर साबित नहीं किया गया है एवं ना ही मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत कर समरी खसरा नंबर 10 से हाल विवादित खसरा नंबर सृजित होना ही साबित किया है । विवादित भूमि हाल राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर वादीगण/अपीलांटस का कब्जा काश्त भी नहीं रहा है । पुख्ता सेटलमेंट के समय जब लगानी पर्चा वितरित किए गए थे उस समय विधिवत् सार्वजनिक तौर पर उपस्थित जनसमुदाय के सामने प्रत्येक काश्तकार की खातेदारी भूमि के खसरा नंबर एवं रकबे का उल्लेख कर पर्चा जारी किया गया था । तत्समय यदि पर्चा लगान में कोई त्रुटि रही थी तो उसी समय सक्षम अधिकारी के समक्ष आपत्ति पेश की जानी चाहिये थी जो इनके द्वारा नहीं की गई है। विचारण न्यायालय ने अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना किये बिना वादीगण का वाद स्वीकार किया था जो दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है। अतः दोनों अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

8— हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों व डिक्री का अवलोकन किया ।

9— पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस एवं रेस्पो0 संख्या 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त आराजियात बाबत् विचारण न्यायालय के समक्ष वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया गया जिसे विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07.04.2001 के द्वारा खारिज किया है । विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादीगण की अपील अपने निर्णय दिनांक 01.12.2002 के द्वारा आंशिक रूप

से स्वीकार कर प्रकरण कुछ निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है । प्रकरण रिमाण्ड से प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.12.2004 को निर्णय व डिक्री पारित कर वादीगण का वाद निम्नानुसार डिक्री किया है– **"वादीगण का कब्जा काश्त मौजा जसवा के खसरों में अत्यन्त पुरानतकाल से प्रथम दृष्टया होना प्रतीत होता है । रिकार्ड भी इस तथ्य को पुष्ट करता है । वादीगण का उक्त भूमि पर ढाणी, रहवासी मकान, डोरी,टांके, धौरे आदि बने होने से उसको ग्राम जसवा की भूमि के हक–हकूकों से मरहूम करना न्याय संगत नहीं होगा । एतदर्थ उपरोक्त विवचना के प्रकाश में वादीगण को मौजा जसवा स्थित खसरा नंबर 44, 46, 47, 48, 52, 53, 90 की भूमि क्रमशः 26 बीघा, 27 बीघा 02 बिस्वा, 94 बीघा, 31 बीघा, 13 बीघा एवं 32 बीघा कुल रकबा 215 बीघा भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है । इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो । "**

10– विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2004 के विरूद्ध राज्य सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा दो पृथक–पृथक अपीलें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर के समक्ष पेश की गई । प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर दिनांक 08.09.2005 को निर्णय पारित कर राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.12.2004 को निरस्त किया तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त किया है । प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि–**"अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न प्रदर्श–11 का अवलोकन किया करने से स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 10 का कुल रकबा 275 बीघा है एवं इसके नये खसरा नंबर 41 व 42 बने है । इन नये खसरा नंबरों की जोड़ भी लगभग 200 बीघा ही बनती है । नोट में जो जमीन मौजा जस्वा गयी होना लिखा गया है उसके वापिस 200 बीघा जस्वा में गई होना लिखा है । प्रदर्श– 11 व 12 में दर्शाये गये खसरा नंबर समरी सेटलमेंट के हैं । प्रदर्श 12 में पुराने खसरा नंबर 10 में नये खसरा नंबर 47 व 48 कुल रकबा 35 बीघा 10 बिस्वा बनना लिखा गया है । प्रदर्श 12 ग्राम जस्वा का कोई उल्लेख नहीं है । समरी सेटलमेंट के पश्चात् जब फाइनल सेटलमेंट हो चुका है तो फाईनल सेटलमेंट का तुलनात्मक विवरण अथवा कम्परेटिटिव रजिस्टर वादीगण को पेश करना था जिसके अभाव में समरी सेटलमेंट का रिकार्ड प्रभाव शून्य माना जावेगा ।**

अधीनस्थ न्यायालय को न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 10/02 निर्णय दिनांक 05.12.2002 तथा अपील संख्या 17/04 निर्णय दिनांक 14.08. 2004 द्वारा जिला कलेक्टर, जैसलमेर कार्यालय के भू–अभिलेख शाखा से अपने स्तर पर समरी खसरा संख्या 10 की कुल 575 बीघा भूमि से वर्तमान कौन–कौन से खसरा नंबरों का निर्माण हुआ है और उनका प्रत्येक का रकबा क्या है? और उनकी मालिकाना स्थिति क्या है, तत्पश्चात् नवीन जानकारी के परिपेक्ष्य में उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करने के निर्देश दिये गये थे किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन दिशा निर्देशों की पालना नहीं की जाकर मात्र गवाह के

मौखिक बयानों पर बिना नई तनकीयात कायम किये पुरानी तनकीयात के आधार पर ग्राम उण्डा के पुराने खसरा नंबर 44 जिसके वर्तमान नये खसरा नंबर 44, 46, 47, 48, 52, 53 व 90 की भूमि रकबा क्रमशः 26 बीघा, 27 बीघा, 2 बीघा, 94 बीघा, 31 बीघा 13 बीघा एवं 32 बीघा कुल रकबा 215 बीघा भूमि की जो खातेदारी अधिकार अपने निर्णय दिनांक 05.12.2004 द्वारा प्रदान की है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों का खुल्ला उल्लघंन है जिसे कायम रखना हम उचित नहीं समझते है।'' राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर के उक्त निर्णय व डिक्री से हम सहमत है क्योंकि वादीगण/अपीलांटस द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजियात के बारे में दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से उनकी स्वंय की खातेदार की घोषणा किए जाने की स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है और ना ही अपीलीय स्तर पर स्थिति स्पष्ट की गई है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना में विवादित आराजियात बाबत् भू–अभिलेख शाखा से स्पष्ट स्थिति प्राप्त नहीं की गई है । विवादित आराजियात की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद विचारण न्यायालय ने वादीगण/अपीलांटस का वाद केवल गवाहों के बयानों के आधार पर डिक्री किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । इन्हीं समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर ने राजस्थान सरकार की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 05.12.2004 को निरस्त किया तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निरस्त किया है जो विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री है जिसमें बिना किसी ठोस आधार के हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

10– परिणामतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत हस्तगत दोनों अपीलें क्रमशः अपील संख्या अपील डिक्री/टीए/5981/2005/जैसलमेर बउनवान शिवदान सिंह व अन्य बनाम राज0 सरकार व अन्य तथा अपील संख्या अपील डिक्री/टीए/5938/2005/जैसलमेर बउनवान शिवदान सिंह व अन्य बनाम राज0सरकार खारिज की जाती है तथा भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर–जैसलमेर मुख्यालय जोधपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2005 यथावत् रखा जाता है । निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों में पृथक–पृथक संधारित की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रामदयाल मीणा)
सदस्य

(हेमन्त कुमार गेरा)
अध्यक्ष